



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17042023-245195
CG-DL-E-17042023-245195

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1665]
No. 1665]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 17, 2023/चैत्र 27, 1945
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 2023/CHAITRA 27, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2023

का.आ. 1745(अ).—सड़क परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3ए की उप धारा (1) के तहत जारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित राजमार्ग, (इसके बाद संदर्भित) उक्त अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार ने उक्त के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने के नव प्रस्तावित के निर्माण (चौड़ाई/चार लेन, आदि), रख-रखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए अधिसूचना राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच-71) कि.मी. 57+046 से कि.मी. 91+910 (नईदुपेटा से तुरु कनुपुर) तक (राजस्व) संभागीय कार्यालय, सुल्लुरिपेटा) आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में अपने इरादे की घोषणा की;

और जब उक्त अधिसूचना का सार क्रमशः "द हंस इंडिया" और "आंध्र ज्योति" दिनांक 10.12.2022 में उक्त अधिनियम की धारा 3 एकी उप-धारा (3) के तहत प्रकाशित किया गया है;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

नव प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-71) के विस्तार में आने वाली, संरचना सहित या बिना संरचना के अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण किमी. से 57+046 से किमी. 91+910 (नायदुपेटा से तुरूप कानूपुर) (राजस्व मंडल कार्यालय, सुल्लुरपेटा) आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में ।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: तिरुपति		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: ओज़िली				
	गांव का नाम: मनमाला				
1	116-2J	निजी(ड्राय)	ड्राय	0.01214	कोंदुरु भुवन शंकर राजू एस्/ओ वेंकट कृष्णमा राजू (116-2जे)
2	116-2L	निजी(ड्राय)	ड्राय	0.00404	कोंदुरु भुवन शंकर राजू एस्/ओ वेंकट कृष्णमा राजू (116-2एल)
3	116-2M	निजी(ड्राय)	ड्राय	0.03237	कोंदुरु भुवन शंकर राजू एस्/ओ वेंकट कृष्णमा राजू (116-2एम)
			कुल	0.04855	

[फा. सं. PIU NELLORE 3(a)/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2023

S.O. 1745(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the

Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Newly Proposed National Highway (NH-71) in the stretch of land from Km. 57+046 to Km. 91+910 (Naidupet to Turpu Kanupur)(Revenue Divisional Office, Sullurpet) in the district of Tirupati in the state of **ANDHRA PRADESH**.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**THE HANS INDIA**” and “**ANDHRA JYOTHI**” both dated **10.12.2022**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Newly Proposed National Highway (NH-71) in the stretch of land from Km. 57+046 to Km. 91+910(Naidupet to Turpu Kanupur) (Revenue Divisional Office, Sullurpet) in the district of Tirupati in the state of ANDHRA PRADESH.

State: ANDHRA PRADESH			District: Tirupati		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Ozili				
	Village: Manamala				
1	116-2J	Private(Dry)	Dry	0.01214	Konduru Bhuvana Sankara raju S/o Venkata Krishnama Raju 116-2J
2	116-2L	Private(dry)	Dry	0.00404	Konduru Bhuvana Sankara raju S/o Venkata Krishnama Raju 116-2L
3	116-2M	Private(Dry)	Dry	0.03237	Konduru Bhuvana Sankara raju S/o Venkata Krishnama Raju 116-2M
			TOTAL	0.04855	

[F. No. PIU NELLORE 3(a)/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.